

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 09/2017 अपील

- | | | |
|---|------|--|
| 1. श्रीमती नानी पत्नि गोपीलाल जाट
निवासी पोटलां तहसील सहाडा | बनाम | 1. मीनादेवी पत्नि सत्यनारायण मून्दड़ा निवासी
पोटलां तहसील सहाडा |
| 2. श्रीमती कमला पुत्री गोपीलाल जाट
निवासी पोटलां तहसील सहाडा | | 2. मियाचंद पिता बेणीराम जाट निवासी पोटलां
तहसील सहाडा |
| 3. श्रीमती सुशीला पुत्री गोपीलाल जाट
निवासी पोटलां तहसील सहाडा | | 3. माधुलाल पिता बेणीराम जाट निवासी पोटलां
तहसील सहाडा |
| 4. श्रीमती प्रेम पुत्री गोपीलाल जाट
निवासी पोटलां तहसील सहाडा | | 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा
मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा |
| 5. सीमा पुत्री गोपीलाल जाट निवासी
पोटलां तहसील सहाडा | | |

—अपीलार्थी

— प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध नामान्तरणकरण सं. 2412 फैसल दिनांक 07.10.2016

उपस्थित –

1. श्री महेश दाधीच अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री पर्वत सिंह चुण्डावत अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 01 से 03 की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – प्रत्यर्थी सं. 04 की ओर से



निर्णय

दिनांक 02.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार सहाडा के बमामलें नामान्तरणकरण सं. 2412 निर्णय दिनांक 07.10.2016 के खिलाफ दिनांक 23.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पोटलां में अन्य नम्बरों के साथ अविभक्त आराजी सं. 5072 रकबा 0.61 हैक्ट. भूमि स्थित थी, जिसमें अपीलार्थीगण का 1/3 हिस्सा व प्रत्यर्थी सं. दो मियाचंद का 1/3 हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या तीन माधुलाल का 1/3 हिस्सा निहित था, विभाजन के प्रकरण सं. 49/2001 में विभाजन होकर बट्टा नम्बर 5072/1 रकबा 0.18 हैक्ट. 5072/2 रकबा 0.22 हैक्ट. 5072/3 रकबा 0.21 हैक्ट. बने । उक्त वाद विभाजन के वाद सं. 49/2011 की अन्तिम डिक्री की राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील हुयी , जिसमें आदेश दिनांक 21.04.2005 को अन्तिम डिक्री को निरस्त किया गया व नये सिरे से विभाजन करने के लिए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में हुयी । दिनांक 24.08.2016 को राजस्व मण्डल ने अपील खारिज कर दी , लेकिन राजस्व जमाबन्दी में उक्त अपीलिय न्यायालय व विभाजन निरस्ती का दाखिला नही लगने से प्रत्यर्थी सं. दो ने बट्टा नम्बर 8152/5072 रकबा 0.21 हैक्ट. (जो मूल नम्बर 5072 का बट्टा नम्बर 5072/3 का हिस्सा है) गलत तरीके से प्रत्यर्थी सं. एक के पक्ष में एक नुमाईसी विक्रय पत्र तादादी 4,00,000/- अक्षरे चार लाख रूपये में 5/21 वां हिस्से का लिपिबद्ध करा पंजियन करा दिया । उक्त विक्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है । तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

सहाडा की पदीय हैसियत से उप तहसीलदार सहाडा ने उक्त तथाकथित अवैध व शुन्य विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 29.08.2016 के आधार पर निर्णित करने की भारी त्रुटि की है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा निरस्ती का दाखिला राजस्व अभिलेखों में नहीं लगाने से प्रत्यर्थी सं. दो ने अपीलार्थीगण के आराजी सं. 5072 से हक व हिस्से को समाप्त करने की गरज से उक्त विक्रय पत्र से 5/21वां हिस्से का अभिलिखित करके पंजीयन करा दिया जो आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है। प्रत्यर्थी मियाचंद का 5/21वां हिस्सा नहीं बनता है, बल्कि 1/3 हिस्सा होगा। अपीलार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष भी राजस्व मण्डल व उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय की पालना में आराजी सं. 5072 रकबा 0.61 हैक्ट. को मूल स्वरूप में अंकित कर पुनः सभी खातेदारों के नाम 1/3 - 1/3 हिस्सा अंकित करने के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण के साथ चस्पा किया था, लेकिन तहसीलदार सहाडा ने बिना अपीलार्थीगण को सुने व बिना नोटिस दिये मनमकसूद तरीके से उक्त अवैध व शुन्य विक्रय पत्र के आधार पर 5/21वें हिस्से का नामान्तरण मीनादेवी के पक्ष में निर्णित करने की त्रुटि की है, जबकि उक्त आराजी में अपीलार्थी का भी 1/3 हिस्सा निहित था व 5/21वां हिस्सा किसी भी प्रकार से विक्रय करने का प्रत्यर्थी सं. दो मियाचंद को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। जिससे उक्त विक्रय पत्र अपीलार्थीगण के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि दूसरे पक्ष को भी सुनवायी का उचित अवसर दिया जाना चाहिये था, लेकिन तहसीलदार सहाडा ने बिना अपीलार्थीगण को सुने व बिना नोटिस दिये व पक्ष रखने का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण फैसल करने में त्रुटि की है। प्रत्यर्थी सं. एक ने अपीलार्थीगण को दिनांक 23.12.2016 को उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर धमकी दी तब अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुयी। दिनांक 07.10.2016 से दिनांक 23.12.2016 तक के समय में हुये डिले की क्षमा के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। अतः निवेदन है कि न्यायहित में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जावे व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा निर्णित ग्राम पोटलां के नामान्तरण सं. 2412 फैसल दिनांक 07.10.2016 को निरस्त फरमाया जावे।



प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पोटलां में अन्य नम्बरों के साथ अविभक्त आराजी सं. 5072 रकबा 0.61 हैक्ट. भूमि स्थित थी, जिसमें अपीलार्थीगण का 1/3 हिस्सा व प्रत्यर्थी सं. दो मियाचंद का 1/3 हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या तीन माधुलाल का 1/3 हिस्सा निहित था, विभाजन के प्रकरण सं. 49/2001 में विभाजन होकर बट्टा नम्बर 5072/1 रकबा 0.18 हैक्ट. 5072/2 रकबा 0.22 हैक्ट. 5072/3 रकबा 0.21 हैक्ट. बने। उक्त वाद विभाजन के वाद सं. 49/2011 की अन्तिम डिक्री की राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील हुयी, जिसमें आदेश दिनांक 21.04.2005 को अन्तिम डिक्री को निरस्त किया गया व नये सिरे से विभाजन करने के लिए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। जिसकी द्वितीय

अपील राजस्व मण्डल अजमेर में हुयी । दिनांक 24.08.2016 को राजस्व मण्डल ने अपील खारिज कर दी , लेकिन राजस्व जमाबन्दी में उक्त अपीलीय न्यायालय व विभाजन निरस्ती का दाखिला नहीं लगने से प्रत्यर्थी सं. दो ने बटा नम्बर 8152/5072 रकबा 0.21 हैक्ट. (जो मूल नम्बर 5072 का बटा नम्बर 5072/3 का हिस्सा है) गलत तरीके से प्रत्यर्थी सं. एक के पक्ष में एक नुमाईसी विक्रय पत्र तादादी 4,00,000/- अक्षरे चार लाख रूपये में 5/21 वां हिस्से का लिपिबद्ध करा पंजियन करा दिया । उक्त विक्रय पत्र आरम्भ से ही अवैध होकर शून्य है। तहसीलदार सहाडा की पदीय हैसियत से उप तहसीलदार सहाडा ने उक्त तथाकथित अवैध व शून्य विक्रय पत्र पंजियन दिनांक 29.08.2016 के आधार पर निर्णित करने की भारी त्रुटि की है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा निरस्ती का दाखिला राजस्व अभिलेखों में नहीं लगाने से प्रत्यर्थी सं. दो ने अपीलार्थीगण के आराजी सं. 5072 से हक व हिस्से को समाप्त करने की गरज से उक्त विक्रय पत्र से 5/21वां हिस्से का अभिलिखित करके पंजीयन करा दिया जो आरम्भ से ही अवैध होकर शून्य है। प्रत्यर्थी मियाचंद का 5/21वां हिस्सा नहीं बनता हैं, बल्कि 1/3 हिस्सा होगा । उक्त आराजी में अपीलार्थी का भी 1/3 हिस्सा निहित था व 5/21वां हिस्सा किसी भी प्रकार से विक्रय करने का प्रत्यर्थी सं. दो मियाचंद को विक्रय करने का अधिकार नहीं था । जिससे उक्त विक्रय पत्र अपीलार्थीगण के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध होकर शून्य हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त हैं कि दूसरे पक्ष को भी सुनवायी का उचित अवसर दिया जाना चाहिये था , लेकिन तहसीलदार सहाडा ने बिना अपीलार्थीगण को सुने व बिना नोटिस दिये व पक्ष रखने का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण फैसल करने में त्रुटि की है। निवेदन हैं कि न्यायहित में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जावे व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा निर्णित ग्राम पोटलां के नामान्तरण सं. 2412 फैसल दिनांक 07.10.2016 को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पोटलां के नामान्तरण सं. 2412 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2016 के आधार पर पटवारी हल्का पोटलां द्वारा दायर किया गया । जिसे तहसीलदार सहाडा द्वारा दिनांक 07.10.2016 को स्वीकृत किया गया हैं, जो रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर सही निर्णित किया गया हैं । अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम पोटलां नामान्तरकरण सं. 2412 में ग्राम पोटलां के आराजी नं. 8151/5072 रकबा 0.22 हैक्ट. भूमि मियाचंद पिता बेणीराम जाट सा0देह खातेदार से मीना देवी पत्नि सत्यनारायण मून्दड़ा के नाम पर दर्ज किया गया हैं । रजिस्टर्ड दस्तावेज में विक्रेता मियाचन्द पिता



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
मीलवाडा (राज.)

बेणीराम जाट निवासी पोटलां द्वारा आराजी सं. 8151/5072 रकबा 0.22 हैक्ट. भूमि में से 5/22 हिस्सा मीना देवी को दिनांक 29.08.2016 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गयी। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29.08.2016 के आधार पर नामान्तरकरण सं. 2412 पटवारी हल्का ने दायर किया। जिसे तहसीलदार सहाडा ने दिनांक 07.10.2016 को स्वीकृत किया।

अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण सं. 49/2001 निर्णय दिनांक 09.09.2002 के अनुसार रेस्पोजेण्ट सं. 02 के राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज के संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुये अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत की। मियाचन्द पिता बेणीराम जाट निवासी पोटलां के नाम राजस्व रिकार्ड में आराजी नं. 8151/5072 रकबा 0.22 हैक्ट. दर्ज थी। इसी अनुसार विक्रयपत्र दिनांक 29.08.2016 से मीनादेवी पत्नि सत्यनारायण मून्दड़ा के नाम विक्रय की गयी हैं। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा से प्रकरण सं. 357/2002 निर्णय दिनांक 21.04.2005 से निर्णित होकर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय दिनांक 09.09.2002 को अपास्त कर "प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये हैं कि विभाजन की प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर तथा फरिकेन को पुनः आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर फरिकेन को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।"

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण सं. 652/2013 निर्णित होकर दिनांक 24.08.2016 को इस निर्देश " प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा अधिनियम की धारा 53 व 54 के तहत वाद प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 20.05.2002 को वाद प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। ऐसी स्थिति में राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिये था, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन तैयार किया गया हैं, जिसे तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया नहीं माना जा सकता हैं। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् से कोई आपत्ति भी आमंत्रित किया जाना नहीं पाया जाता हैं। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोजेण्ट सं. 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सबल न होने से खारिज की जाती है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा का निर्णय दिनांक 21.04.2005 बहाल रखा जाता हैं।" न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का फैसला यथावत रहा।

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रकरण सं. 357/2002 निर्णय दिनांक 21.04.2005 के निर्देश " विभाजन के मामलों में अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर

प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार जो अदालत का प्रतिनिधि होता है और तहसीलदार यह कार्य अन्य को डेलिगेट नहीं कर सकता है। तहसीलदार के लिये यह आवश्यक है कि वह स्वयं मौके पर जाकर फरीकेन को सूचित कर उनकी मौजूदगी में यह विभाजन प्रस्ताव तैयार करें, किन्तु प्रकरण हाजा में तहसीलदार द्वारा फरीकेन को सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह भी पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। जिसे तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का विभाजन बाबत् पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि विभाजन की प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तथा फरीकेन को पुनः आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर फरीकेन को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। “

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के प्रकरण सं. 357/2002 निर्णय दिनांक 21.04.2005 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण सं. 49/2001 निर्णय दिनांक 09.09.2002 को अपास्त किया जा चुका है। ग्राम पोटलां तहसील सहाडा स्थित खाता सं. 951 में वर्णित आराजियात कुल किता 14 रकबा 7.07 हैक्ट. भूमि है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पिता एवं रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। इस आराजियात में अपीलार्थीगण के पिता का 1/3 व रेस्पोडेण्ट सं. 02 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट सं. 03 का 1/3 हिस्सा है। प्रकरण सं. 49/2001 निर्णय दिनांक 09.09.2002 में पारित अन्तिम डिक्री अनुसार खाता सं. 951 में अपीलार्थीगण के पिता के नाम 2.35 हैक्ट. भूमि एवं रेस्पोडेण्ट सं. 02 के नाम पर 2.36 हैक्ट. एवं रेस्पोडेण्ट सं. 03 के नाम 2.36 हैक्ट. भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। ऐसी स्थिति में विभाजन से पूर्व अपीलार्थीगण के पिता एवं रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 के नाम आराजी नं. 5072 रकबा 0.61 हैक्ट. भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार रहे है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 02 एवं 03 ने अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी नं. 5072 में से रेस्पोडेण्ट सं. 01 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2016 से विक्रय किया गया है। इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही रेस्पोडेण्ट सं. 01 के नाम पर तहसीलदार सहाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 2412 को दिनांक 07.10.2016 को स्वीकृत किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 21.04.2005 से लेकर राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.08.2016 के मध्य अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं करके दिनांक 23.01.2017 को काफी विलम्ब से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 21.04.2005 एवं राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण 652/2013 निर्णय दिनांक 24.08.2016 के अनुसरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में अपने हक हिस्से के संबंध में चाराजोही करना चाहिये। मियाचन्द पिता बेणीराम जाट निवासी पोटलां के नाम राजस्व रिकार्ड में आराजी नं. 8151/5072 रकबा 0.22 हैक्ट. दर्ज थी। इसी अनुसार विक्रयपत्र दिनांक 29.08.2016 से मीनादेवी पत्नि सत्यनारायण मून्दड़ा के नाम विक्रय की गयी है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.



रज. जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

2016 के संबंध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो सिविल न्यायालय से दाद हासिल करनी चाहिये । ग्राम पोटलां के नामान्तरकरण सं. 2412 में तहसीलदार सहाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2016 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं ।

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार सहाडा द्वारा ग्राम पोटलां में नामान्तरकरण सं. 2412 दिनांक 07.10.2016 को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सहाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



02.05.18
(एन.आर.गुगरवाल)
मजिस्ट्रेट जिला कलकटर
(भीलवाड़ा)